मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

(एफ– 7 साँची कॉम्पलेक्स, बोर्ड ऑफिस के सामने, भोपाल (म0 प्र0) 462016)
(Phone: 0755-2767786 Email: registrarmpmc@gmail.com)

क्रमांक/एमपीएमसी /एडिशनल/ 2020/629 भोपाल दिनांक 25/01/2020

//परिपत्र//

विषयः– एम. बी. बी. एस. एवं समकक्ष चिकित्सा अर्हता के पंजीयन उपरांत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्राप्त की गई मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि के एडिशनल रजिस्ट्रेशन के संबंध में।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल के पूर्व परिपत्र क्र. एमपीएमसी/ रेसिप्रोकल (अन्यराज्य)/2019/ 5448–5530 दिनांक 07.08.2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**

   एम. बी. बी. एस. एवं समकक्ष चिकित्सा अर्हता के म. प्र. मेडिकल कौंसिल में पंजीयन होने उपरांत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा धारित स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि (केवल मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त) का म. प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 13 के अंतर्गत एडिशनल रजिस्ट्रेशन किया जाना।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा :–**

   रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 30 कार्य दिवस

3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**

   आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाना होगा।

4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :–**

   4.1 आवेदक म. प्र. मेडिकल कौंसिल से स्थायी रूप (Permanentaly) से पंजीकृत हों।

   4.2 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि उत्तीर्ण की हो ।

5. **आवश्यक दस्तावेज :–**

   5.1 ऐसे आवेदक हेतु जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा **पत्रोपाधि/उपाधि मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त की हो** –

   5.1.1 परमानेंट/रेसीप्रोकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,

   5.1.2 स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि, (मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त)

   5.1.3 अधिष्ठाता संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र (Passing Certificate/Attempt Certificate)। (चिकित्सा महाविद्यालय के नाम के प्रमाण हेतु)

5.1.4 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनो एक साथ) की स्केन कॉपी । (Appendix 'B')

5.2 ऐसे आवेदक हेतु जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि / उपाधि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त की हो –

5.2.1 परमानेंट / रेसीप्रोकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,

5.2.2 स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि / उपाधि, (मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त)

5.2.3 अधिष्ठाता संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि / उपाधि उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र (Passing Certificate/Attempt Certificate)। (चिकित्सा महाविद्यालय के नाम के प्रमाण हेतु)

5.2.4 निर्धारित प्रारूप में पचास रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र । Appendix "A"

5.2.5 एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (ऐसे आवेदक जिनकी स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि / उपाधि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेट मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत हो)

5.2.6 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनो एक साथ) की स्केन कॉपी । (Appendix 'B')

6. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –

6.1 आवेदक को अपना आवेदन ऑनलाईन (https://mpmc.mponline.gov.in/) प्रस्तुत करना होगा ।

6.2 यूजर प्रोफाईल बनाने हेतु आवेदक https://mpmc.mponline.gov.in/ में User Profile Creation पर क्लिक कर अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं। जिनके द्वारा यूजर प्रोफाइल पूर्व में ही बना ली है उन्हें दुबारा यूजर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.3 यूजर प्रोफाइल / आवेदन प्रस्तुत करने / डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने / ऑनलाईन भुगतान करने में कोई तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एम0 पी0 ऑनलाईन लिमिटेड के कस्टमर केयर के दूरभाष क्रमांक 0755–6720200 पर सम्पर्क करें अथवा एम. पी. ऑनलाइन की शिकायत लिंक http://mponline.gov.in/portal/ → Grievances पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

6.4 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट Appendix **'B'** अनुसार अपलोड करना होगा (प्रारूप अनुसार फोटो के स्थान पर फोटो चस्पा कर उसके नीचे दिये गये हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर कर एक साथ स्कैन करें)। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन / संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.5 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी सही–सही दर्ज करना होगा। यूजर प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी रहेगा।

6.6 आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उसके यूजर प्रोफाइल में मिलेगा।

6.7 आवेदक, आवेदन पत्र में पूर्व से दर्ज विवरण का मिलान कर लें। कोई त्रुटि होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल की ई–मेल आईडी अथवा कार्यालय में सीधे पत्र भेजकर उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

6.8 आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें । आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें। आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा। आवेदक, मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता के पंजीयन हेतु ही आवेदन प्रस्तुत करें। अमान्य चिकित्सा अर्हता का पंजीयन नहीं किया जावेगा। ऐसे आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

6.9 ऐसे आवेदक जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से प्राप्त की हो, उन्हें रूपये 50/– के स्टाम्प पत्र पर नोटराईज्ड शपथ पत्र (Appendix "A" अनुसार) अपलोड करना होगा तथा मूल शपथ पत्र मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में फिजिकल वेरीफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा।

6.10 ऐसे आवेदक जिनकी स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेट मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत है, उन्हें संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल का एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा।

6.11 आवेदक को आवेदन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.12 आवेदक को बिंदु क्रमांक –8 अनुसार पंजीयन शुल्क + विलंब शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है।

6.13 यदि आवेदक के एक से अधिक स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि है तो उसके पंजीयन हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन सबमिट होने अर्थात् शुल्क का भुगतान होने के उपरांत यूजर प्रोफाइल में एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु नवीन आवेदन ओपन हो जाएगा।

6.14 ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश मे चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि प्राप्त की है, अपना आवेदन एवं मूल अभिलेख संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय जहां से उनके द्वारा पत्रोपाधि/उपाधि प्राप्त की है, से सत्यापन करवाकर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को अग्रेषित करवाया जाना होगा। चिकित्सा महाविद्यालय से आवेदन ऑनलाईन प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

6.15 ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि प्राप्त की है, द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपने आवेदन एवं मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु स्वयं की सुविधानुसार अपॉइन्टमेन्ट हेतु स्लॉट बुकिंग करना होगी। अपॉइन्टमेन्ट हेतु नियत तिथी को मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु वांछित मूल शपथ पत्र के

साथ, मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में आवेदक को उपस्थित होना होगा। भौतिक सत्यापन होने के उपरांत मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

6.16 आवेदक ने जहां से उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त की है, के संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा लिए जाने वाले सत्यापन शुल्क का भुगतान आवेदक को किया जाना होगा। आवेदक को उक्त जानकारी मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से प्राप्त करना होगी।

6.17 आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (Appendix "A" अनुसार) के आधार पर पत्रोपाधि/उपाधि के सत्यापन की प्रत्याशा में, आवेदन पात्र पाये जाने पर एडिशनल रजिस्ट्रेशन जारी किया जावेगा। रजिस्ट्रेशन जारी करने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था की ओर भेजा जावेगा । यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से उक्त उपाधि असत्य पाई जाती है तो आवेदक का पंजीयन निरस्त कर आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

6.18 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र/आवेदन को अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा।

7. आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेष अनुदेश–

7.1 पंजीयन शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) रहेगा।

7.2 आवेदक को अपने यूजर प्रोफाइल के माध्यम से एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7.3 यदि आवेदक प्रथम बार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो पहले उसे अपना User Profile बनाना होगा । User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

7.4 आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें। आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें । आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

7.5 वे आवेदक ही एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जो मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल/महाकौशल मेडिकल कौंसिल/मेडिकल कौंसिल भोपाल से स्थायी रूप से पंजीकृत हों।

7.6 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी। आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।

7.7 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

7.8 आवेदक की जो स्नातकोत्तर पत्रोपाधि/उपाधि म. प्र. के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेट मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत है तो उस पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा पर कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा। उक्त पी. जी. डिग्री/डिप्लोमा के संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा ।

7.9 यदि कोई स्नातकोत्तर पत्रोपाधि/उपाधि म. प्र. के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेट मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत नहीं है तथा उस पर विलंब शुल्क यदि लागू होता है तो विलंब शुल्क का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा।

7.10 यदि आवेदक के एक से अधिक स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि है तो उसके पंजीयन हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन सबमिट होने अर्थात् शुल्क का भुगतान होने के उपरांत यूजर प्रोफाइल में एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु नवीन आवेदन ओपन हो जाएगा।

7.11 **स्नातकोत्तर पत्रोपाधि/उपाधि का सत्यापन शुल्क –**

7.11.1 आवेदक ने जहां से उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त की है, के संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा लिए जाने वाले सत्यापन शुल्क की जानकारी म. प्र. मेडिकल कौंसिल से प्राप्त कर, (Demand Draft/Postal Order/Online etc), फिजिकल वेरीफिकेशन के समय अपने आवदेन एवं दस्तावेजों के साथ म. प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रस्तुत करना होगी।

अथवा

7.11.2 आवेदक अपने विश्वविद्यालय/संस्था से उपाधि/पत्रोपाधि के सत्यापन शुल्क के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसी रूप में जिस रूप में संस्था द्वारा सत्यापन शुल्क चाहा गया है, फिजिकल वेरीफिकेशन के समय अपने आवदेन एवं दस्तावेजों के साथ म. प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रस्तुत करना होगी।

7.12 यदि आवेदक द्वारा म. प्र. के चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि उत्तीर्ण की है तो उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान होने के उपरांत, उक्त आवेदन संबंधित संस्था (जिस कॉलेज से विद्‌यार्थी ने स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि/पत्रोपाधि कोर्स किया है) के जी2जी पोर्टल पर प्राप्त होगा, जहां से आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण /सत्यापन उपरांत म. प्र. मेडिकल कौंसिल भोपाल के जी2जी पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध होगा। आवेदक को अपना आवेदन एवं अभिलेख संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय से अग्रेषित करवाना होगा ।

7.13 यदि आवेदक द्वारा म. प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि उत्तीर्ण की है तो उन्हें आवेदन सबमिट करने के उपरांत अपनी सुविधानुसार मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु तिथी व समय चयनित करेंगे। चयनित तिथी व समय को आवेदक को अपने मूल अभिलेखों के साथ उनके सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।

7.14 यदि आवेदक स्वयं द्वारा चयनित तिथी व समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें दुबारा री–अपॉइन्टमेंट प्रक्रिया में जाकर मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु अपॉइन्टमेन्ट लेना होगा। उक्त हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान किया जाना होगा।

7.15 ऐसे आवेदन पत्र जो चिकित्सा महाविद्यालय से अग्रेषित होना है, में कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संशोधन हेतु आवेदन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा आवेदक को वापस (Sent Back) भेज दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को (User Profile में जाकर) आवेदन में संशोधन कर उसी दिन निर्धारित पोर्टल शुल्क रूपये के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7.16 ऐसे आवेदन पत्र जो मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से अग्रेषित होना है, में कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संशोधन हेतु आवेदन संबंधित मेडिकल कौंसिल द्वारा आवेदक को वापस (Sent Back) भेज दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को (User Profile में जाकर) आवेदन में संशोधन कर उसी दिन निर्धारित पोर्टल शुल्क रूपये के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7.17 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा।

7.18 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र/आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

8. संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

8.1 संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय उक्त आवेदन का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे।

8.2 यदि प्रस्तुत आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो आवेदन में संशोधन हेतु आवेदक को (Sent Back) किया जावेगा । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन में संशोधन कर संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8.3 यदि प्रस्तुत आवेदन में ऐसी त्रुटि पायी जाती है जिसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है अथवा आवेदन के तथ्य गलत पाये जाते हैं अथवा डिग्री का सत्यापन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अभिलेखों से नहीं होता है, तो ऐसे आवेदन संबंधित अधिष्ठाता द्वारा स्पष्ट कारण अंकित करते हुए निरस्त किये जावेंगे।

8.4 अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों को परीक्षण उपरांत सही पाये जाने पर पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को अग्रेषित किया जावेगा।

9. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

9.1 यदि प्रस्तुत आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो आवेदन में संशोधन हेतु आवेदक को (Sent Back) किया जावेगा । आवेदक द्वारा उक्त आवेदन में संशोधन कर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को पुनः प्रस्तुत करना होगा।

9.2 प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु पात्र पाये जाने पर आवेदन स्वीकृत कर रजिस्ट्रेशन जनरेट किया जावेगा।

9.3 यदि प्रस्तुत आवेदन में ऐसी त्रुटि पायी जाती है जिसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है अथवा आवेदन के तथ्य गलत पाये जाते है अथवा अंकित स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि मान्यता प्राप्त नहीं होने अथवा डिग्री का सत्यापन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अभिलेखों से नहीं होता है, ऐसे आवेदन स्पष्ट कारण अंकित करते हुए निरस्त किये जावेंगे।

9.4 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र/आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

10. मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

10.1 म. प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि उत्तीर्ण आवेदक, आवेदन एवं मूल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप अनुसार मूल शपथ पत्र के साथ उनके द्वारा चयनित तिथी को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल के समक्ष कार्यालयीन समय में उपस्थित होंगे।

10.2 आवेदन/अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की कार्यवाही म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी।

10.3 आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय निर्धारित प्रारूप Appendix- A के अनुसार मूल शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही पंजीयन संबंधी आगामी कार्यवाही की जावेगी। मूल शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को अपने User Profile में जाकर आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उन्हें री अपॉईटमेंट प्रक्रिया में जाना होगा।

10.4 आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर पत्रोपाधि/उपाधि के सत्यापन की प्रत्याशा में, आवेदन पात्र पाये जाने पर एडिशनल रजिस्ट्रेशन जारी किया जावेगा।

10.5 रजिस्ट्रेशन जारी करने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था की ओर भेजा जावेगा । यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था से उक्त उपाधि असत्य पाई जाती

है तो रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल द्वारा उक्त आवेदक का पंजीयन निरस्त कर आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

10.6 यदि आवेदन परीक्षण उपरांत एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो स्पष्ट कारण दर्शाते हुए ऐसे आवेदन को निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा।

10.7 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन एडिशनल रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर एडिशनल रजिस्ट्रेशन जनरेट किया जावेगा।

10.8 यदि प्रस्तुत आवेदन में ऐसी त्रुटि पायी जाती है जिसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है अथवा आवेदन के तथ्य गलत पाये जाते है अथवा अंकित स्नातकोत्तर चिकित्सा पत्रोपाधि/उपाधि मान्यता प्राप्त नहीं होने अथवा डिग्री का सत्यापन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अभिलेखों से नहीं होता है, ऐसे आवेदन स्पष्ट कारण अंकित करते हुए निरस्त किये जावेंगे।

10.9 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

11. शुल्क–

11.1 स्नातकोत्तर पत्रोपाधि/उपाधि के एडिशनल रजिस्ट्रेशन हेतु अप्रतिदेय (non refundable) पंजीयन एवं विलंब शुल्क का ऑनलाईन भुगतान निम्नानुसार किया जाना होगा है :–

The Non refundable Fee for Additional Registration:

1	Fee (for each diploma/degree)	Rs. 2,500.00
2	Late Fee • If Diploma/Degree already registered in State Medical Council other then M. P. Medical Council, no late fee chargeable. • Period laps between the month & year of final exam of Diploma / P. G. Degree and submission of application for Additional Registration-	
	Upto 12 months	Nil
	12 to 24 months	Rs. 5,000.00
	Above 12 months	Rs. 10,000.00

11.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना होगा।

रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 कमांक / एमपीएमसी / एडिशनल / 2020 / 630-39 भोपाल दिनांक 25/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल म. प्र. ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड **पर** प्रदर्शित करने हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कॉर्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
8. श्री आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल ।
10. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

Appendix "A"

Format of Affidavit for submitting along-with Application for Additional Registration
(Notarised AFFIDAVIT on stamp paper of Rs. 50.00 denomination)

AFFIDAVIT

I, Dr. .... age .... years s/o .... r/o .... do hereby solemnly affirm as under:-

1. My MBBS qualification is registered with M. P. Medical Council, vide no. .... dated.................
2. I have obtained additional qualification i.e. .... From Medical College (name).. Affiliated to University (name)... during Period from .... to .... and that my additional qualification is a MCI recognized qualification.
3. I declare that documents which I have submitted along with my online application for registration are genuine and true.
4. I undertake that documents and declarations submitted by me if found false, fabricated or otherwise tampered with, then Council shall, cancel my registration of additional qualification and shall proceed for taking action against me in accordance with law.

Deponent

VERIFICATION

I, Dr. .... do hereby verify that contents of Para 1 to 4 of affidavit are true to my personal knowledge.

Verified at .... on this .... Day of .... 20 .

Deponent

Appendix –B

Colour Photo
Signature